UPM0010102662022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी– (सुरेन्द्र कुमार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02401**

दाण्डिक निगरानी संख्या–314/2022

कुमारी नाजरा पुत्री शकूर अहमद,
निवासी–मौहल्ला सादक सराय कस्बा सिरसी, थाना हजरत नगर गढ़ी, जिला सम्भल ।

..... **निगरानीकर्तनी।**

बनाम

1. उ 0 प्र 0 सरकार द्वारा डी0 जी0 सी0(क्रिमिनल), मुरादाबाद।
2. रसीत पुत्र अब्दुल हकीम,
3. हबीब पुत्र अब्दुल हकीम,
4. निहाल पुत्र राममूर्ति,
5. वाहिद पुत्र पीरवख्श,

समस्त निवासीगण–ग्राम जटपुरा, थाना टाण्डा, जिला मुरादाबाद।

..... **विपक्षीगण।**

निर्णय

(1)– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी अन्तर्गत धारा–397 सी.आर.पी.सी., निगरानीकर्तनी ने विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मुरादाबाद द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–1446/2022, कु0 नाजरा बनाम रसीत आदि में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 28.09.2022 के विरुद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश के द्वारा निगरानीकर्तनी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) सी.आर.पी.सी. निरस्त किया गया है।

(2)– संक्षेप में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) सी.आर.पी.सी. के तथ्य इस प्रकार हैं कि, "उसके घर रसीत का आना जाना था। उक्त रसीत ने उसके पिता को बहलाया कि उसके सम्बन्ध बड़े–बड़े लोगों से हैं। वह प्रार्थिनी की अच्छी जगह नौकरी अरब में लगवा देगा। प्रार्थिनी के पिता से साढे पांच लाख रूपये नौकरी लगवाने को दे दिये। उसके पिता ने यह भी कहा कि उसकी पुत्री नाबालिग है, उसकी नौकरी कैसे लग सकती है, तब उसने कहा कि उसकी नौकरी सउदी अरब में घरेलू सहायिका के रूप में लगवाउंगा। घरेलू काम करने वालों के लिए उम्र की कोई सीमा होती। केवल पासपोर्ट व एजेन्ट को देने के लिए रूपया चाहिए। यह कहकर तमाम कागजों पर अंगूठा लगवा लिये। प्रार्थिनी व उसके पिता अनपढ़ हैं। रसीत प्रार्थिनी को कागज बनवाने के बहाने इधर–उधर ले जाता रहा और एक दिन धोखे से उसके साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध बलात्कार किया और मोबाईल से अश्लील फोटों खींच ली व वीडियो बना ली। उसके बाद वह काफी समय तक ब्लैकमेल करता रहा, जिसका मुकदमा प्रार्थिनी ने जनपद न्यायालय थाना टाण्डा, जिला रामपुर में दर्ज कराया, जिसकी जांच थाना नखासा, जिला सम्भल में हुई और उक्त मुकदमा एस०टी० नं0–1121/2016, अ 0 सं0–302/2016, धारा–376 डी

भा.दं.सं., थाना नखासा, न्यायालय एफ०टी०सी० कोर्ट नं0–1 में विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थिनी की गवाही चल रही है। काफी दिनों तक प्रार्थिनी की नौकरी नहीं लगी तो उसके पिता ने रूपये लौटाने को कहा तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास एक 100 गज का प्लाट करूला मुरादाबाद में है। जब तक उसके पैसे नहीं देता है प्लाट की रजिस्ट्री लड़की के नाम करा देता हूं। दिनांक 07.08.2013 को कचहरी मुरादाबाद आ जाना। नियत दिनांक को प्रार्थिनी व उसके पिता कचहरी पहुंचे, उनके साथ भाई हबीब व अन्य व्यक्ति और भी थे तथा उन तीनों ने भी उनसे कहा कि तुम पैसों के बदले रजिस्ट्री करा लो, परन्तु बलात्कार की घटना के बाद पता चला कि दो अन्य व्यक्ति, जो निहाल व वाजिद थे, कचहरी मुरादाबाद में आकर वकील के विस्तर पर ले गये और कहा कि रजिस्ट्री के कागज हैं, अंगूठा लगा दो। फिर उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस में पेश किया और यह कहकर घर भेज दिया कि 8 दिन बाद रजिस्ट्री मिलेगी। उसके बाद न तो रजिस्ट्री दी और न कोई कागज दिखाया। प्रार्थिनी के अधिवक्ता ने फाईल का मुआयना किया, तब उन्हें विक्रय पत्र पर प्लाट का विवरण के स्थान पर इकरारनामा/ विवाह का पंजीकरण छपा हुआ मिला, जिसमें रसीत के साथ उसका निकाह दिखाया गया है, जिसमें रसीत का पता भी फर्जी लिखा हुआ है। उपरोक्त मुल्जिमान रसीत आदि ने एकराय होकर प्रार्थिनी के साथ धोखाधड़ी करके रजिस्ट्री के स्थान पर रसीत के रजिस्ट्रेशन की इबारत छपवाकर धोखा दिया है। प्रार्थिनी थाने गयी, कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थिनी एस०एस०पी० व डी०आई०जी से भी मिली, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।"

(3)– निगरानीकर्तनी ने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजीय साक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को प्रेषित पत्र की प्रति प्रार्थना पत्र मय डाक रसीद दाखिल किया गया है। तत्पश्चात् विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत निगरानीकर्तनी का विविध वाद अंतर्गत धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. खारिज कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तनी द्वारा यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गई है।

(4)– निगरानीकर्तनी द्वारा निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि, विद्वान अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 28.09.2022 कतई गलत गैर कानूनी मनमाना है और निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्तनी ने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया था कि विपक्षी संख्या–2 रसीत का प्रार्थिनी के घर आना जाना था। उक्त रसीद ने उसके पिता को बहकाया कि उसके सम्बन्ध बड़े–बड़े लोगों से है। वह प्रार्थिनी की अच्छी नौकरी अरब में लगवा देगा। प्रार्थिनी के पिता ने साढ़े पांच लाख रूपये नौकरी लगवाने को दे दिये। उसके पिता ने यह भी कहा कि उनकी पुत्री नाबालिग है, उसकी नौकरी कैसे लग सकती है, तब रसीद ने कहा कि वह प्रार्थिनी की नौकरी सउदी अरब में घरेलू सहायिका में लगवा देगा। घरेलू काम करने वालों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, केवल पासपोर्ट व एजेन्ट को देने के लिए रूपया चाहिए। यह कहकर तमाम कागजो पर अंगूठा लगवा लिया। प्रार्थनी व उसके पिता अनपढ़ है। रसीद प्रार्थिनी को लेकर कागज बनवाने के बहाने इधर उधर ले जाता रहा और एक दिन धोखे से प्रार्थिनी के साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध बलात्कार किया और मोबाइल से अश्लील फोटो खींच ली व विडियो बना ली उसके बाद वह काफी समय तक ब्लैकमेल करता रहा जिसका मुकदमा प्रार्थिनी ने थाना टाण्डा जिला रामपुर में दर्ज कराया। जब काफी दिनों तक प्रार्थिनी की नौकरी नहीं लगी, तब प्रार्थिनी के पिता ने रसीद से रूपये लौटाने को

कहा तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास एक 100 गज का प्लाट करूला मुरादाबाद में है, जब तक मैं पैसे नहीं देता प्लाट की रजिस्ट्री तुम्हारी लड़की के नाम करा देता हूँ। दिनांक 07.08.2013 को कचहरी मुरादाबाद आ जाना। नियत दिनांक को प्रार्थिनी व उसके माता–पिता कचहरी पहुंचे, वहां उसके साथ उसका भाई हबीब व दो व्यक्ति और थे, जिनके नाम निहाल व वाजिद थे, जिनके नामों का पता बलात्कार की घटना के बारे में चला चारो लोग प्रार्थनी व उसके माता–पिता को कचहरी मुरादाबाद में एक वकील के विस्तर पर ले गये और कहा कि यह रजिस्ट्री के कागज हैं, अंगूठा लगा दो। फिर प्रार्थिनी व उसके माता–पिता को रजिस्ट्री ऑफिस में पेश किया और यह कहकर घर भेज दिया कि रजिस्ट्री आठ दिन बाद मिलेगी। उसके बाद न तो रजिस्ट्री ही दी और न कोई कागज दिखाया है। प्रार्थिनी जब बलात्कार वाले मुकदमें में, जब साक्ष्य की कार्यवाही शुरू हुई, तब प्रार्थनी के अधिवक्ता ने फाइल का मुआयना किया, तब उन्हें विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन पर प्लाट के विवरण के स्थान पर इकरारनामा/विवाह का पंजीकरण की इबारत छपी हुई मिली, जिसमें रसीद के साथ प्रार्थिनी का निकाह दिखाया गया है, जिसमें रसीद का पता फर्जी लिखाया गया है। उपरोक्त मुल्जिमान दो ता पांच ने प्रार्थिनी के साथ धोखाधड़ी करके रजिस्ट्री के स्थान पर शादी के रजिस्ट्रेशन की इबारत छपवाकर धोखा दिया है। प्रार्थिनी थाने गयी। एस०एस०पी० साहब से मिली। डी०आई०जी० साहब से मिली पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थिनी ने उपरोक्त आधार पर विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष अपनी F.I.R दर्ज करवाने हेतु आवेदन किया था, जिसे उन्होंने निरस्त कर दिया, जिससे प्रार्थिनी न्याय पाने के सिद्धान्त से वंचित हो गयी। विधि के अनुसार जब धारा 156(3) सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत विद्वान न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जाता है। तब सर्वप्रथम विद्वान न्यायालय को देखना होता है कि प्रार्थना पत्र के कथानक के अनुसार संगीय अपराध बनता है या नहीं, परन्तु प्रस्तुत वाद में ऐसा न करके माननीय ने घोर कानूनी गलती की है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि उक्त अभिलेख एक पंजीकृत दस्तावेज है जो कि विधिक दृष्टि से अखण्डनीय साक्ष्य की श्रेणी में आता है। पूरी तरह गलत व गैर कानूनी है। उपरोक्त पंजीकृत अभिलेख को उपनिबन्धक प्रथम के कार्यालय में विकय अनुबंध विलेख के रूप में पंजीकृत कराया गया है। जैसा कि अभिलेख के पृष्ठ दो में अंकित किया गया है। विद्वान न्यायालय ने अपने आदेश में आगे कहा है कि उक्त अभिलेख में पेज 2 में पृष्ठांकन की उपनिबन्धक प्रथम की आख्या अनुसार निष्पादित लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित किया गया" अगर यह कहना सही है कि अभिलेख पढ़कर सुनाया गया, तब फिर उन्होंने ही इसे विक्रय अनुबन्ध विलेख के रूप में क्यों पंजीकृत किया। वह विवाह अनुबन्ध विलेख के रूप में पंजीकृत करते। इस बात से स्पष्ट है कि यह सारा मामला साजिश के तहत हुआ है और उन्होंने बिना पढ़ पूछे कार्यालय कर्मियों की बात पर विश्वास करके अभिलेख निष्पादित कर दिया। विक्रय अनुबन्ध विलेख पर विवाह/निकाह नामा की इबारत छपी होना एक गम्भीर मामला है। किसी लड़की के भविष्य का प्रश्न है। इस साजिश में कौन–कौन शामिल है, यह बात बिना जांच किये सामने नहीं आ सकती। यह बात पुलिस द्वारा विवेचना किये जाने पर ही समाने आ सकती है। विद्वान अवर न्यायालय ने इस बात पर ध्यान न देकर कानूनन गलती की है और एक लड़की का भविष्य अन्धकार में झौंक दिया है। विपक्षी संख्या–2 रसीद मूल रूप से ग्राम जटपुरा थाना टाण्डा, जिला रामपुर का रहने वाला है, जबकि विक्रय अभिलेख में उसने अपना फर्जी पता रसीद पुत्र श्री अब्दुल हकीम, निवासी रहमतनगर करूला शहर व

जिला मुरादाबाद लिखाया है। विद्वान अवर न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि जब वह रामपुर का रहने वाला है, तब उसने मुरादाबाद का फर्जी पता क्यों लिखवाया है। रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा किये गये पंजीकरण पर कही भी यह नहीं आया है कि उन्होंने इकरारनामा /विवाह/अभिलेख का पंजीयन किया है। फिर विद्वान अवर न्यायालय में स्वयं अपने मन से यह मान लिया कि यह पंजीयन इकरारनामा अभिलेख का है, जबकि उन्होंने विक्रय अनुबन्ध विलेख का पंजीयन किया है। इस प्रकार उक्त तथ्य को ध्यान न देते हुए विद्वान अवर न्यायालय ने घोर कानूनी गलती की है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिनी/निगरानीकर्ती को धोखा देकर प्लाट के स्थान पर शादी का इकरारनामा पंजीकृत करा दिया और प्रार्थिनी का भविष्य पूरी तरह से अन्धकार में कर दिया, जिसकी विवेचना थाना पुलिस द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। विपक्षीगण ने संज्ञेय अपराध कारित किया है जो प्रार्थनी के प्रार्थना पत्र से पूर्णतयः साबित है। विद्वान अवर न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजर अंदाज कर कानूनन गलती की है। समस्त हालात व वाक्यात को देखते हुए विद्वान अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 28.09.2022 निरस्त होने योग्य है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 को निरस्त फरमाकर निगरानीकर्तनी की निगरानी स्वीकार करने की याचना की गयी है।

(5)– निगरानीकर्तिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। विपक्षीगण संख्या–4 व 5 की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के आदेश पत्रक के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्तिनी विगत कई तिथियों से गैर हाजिर है, जबकि निगरानीकर्तिनी को दिनांक 18.08.2026 व 21.08.2026 को सुनवाई हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया है, इसके पश्चात् भी निगरानीकर्तिनी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ अग्रिम नियत तिथियों पर बहस हेतु उपस्थित नहीं हुई। चूंकि दाण्डिक निगरानी अदम पैरवी में निरस्त नहीं की जा सकती। अतः यह दाण्डिक निगरानी गुण दोष के आधार पर निर्णीत की जा रही है।

(6)– मैंने विपक्षी सं0–1 की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) व विपक्षीगण संख्या–2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध समस्त अभिलेखों का सम्यक रूपेण अवलोकन किया।

(7)– विपक्षी संख्या–1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व विपक्षीगण संख्या–2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 28.09.2022 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

(8)– विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि, निगरानीकर्तिनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता विपक्षी रसीत द्वारा बलात्कार की घटना कारित किये जाने के संबंध में विपक्षी रसीत के विरूद्ध मुकदमा एस०टी० नं0–1121/2016, अ0सं0–302/2016, धारा–376 डी भा.दं.सं., थाना नखासा विचाराधीन होने का कथन किया गया। इसके अलावा, प्रार्थना पत्र मुख्य इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया था कि, विपक्षी रसीत ने उसके पिता को बहलाकर प्रार्थिनी की अच्छी जगह नौकरी अरब में नौकरी सउदी अरब में घरेलू सहायिका के रूप में लगवाने के नाम पर साढ़े पांच लाख रूपये ले लिये तथा तमाम

कागजों पर अंगूठा लगवा लिये। काफी दिनों तक प्रार्थिनी की नौकरी नहीं लगी तो उसके पिता ने रूपये लौटाने को कहा तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास एक 100 गज का प्लाट करूला मुरादाबाद में है। जब तक उसके पैसे नहीं देता है, प्लाट की रजिस्ट्री लड़की के नाम करा देता हूं। दिनांक 07.08.2013 को कचहरी मुरादाबाद आ जाना। दिनांक 07.08.2013 को विपक्षीगण रसीत आदि द्वारा एकराय होकर धोखाधड़ी कर, उक्त प्लाट की रजिस्ट्री निगरानीकर्तिनी के पक्ष में करने के नाम पर तथा विक्रय पत्र पर प्लाट का विवरण के स्थान पर इकरारनामा/विवाह का पंजीकरण धोखाधड़ी करके इकरारनामा/विवाह का अभिलेख बनवाये जाने का कथन किया गया है।

(9)– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष देते हुए आदेश पारित किया गया है कि "उक्त पंजीकृत अभिलेख दिनांक 07.08.2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त अभिलेख एक पंजीकृत दस्तावेज है। पेज–2 में पृष्ठांकन कि उप निबन्धक प्रथम की आख्या अनुसार निष्पादित लेखपत्र बाद सुनने व समझने मझमून दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित किया गय है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि उक्त अभिलेख किसी भी प्रकार से विक्रय अभिलेख नहीं है और न ही विक्रय अभिलेख के रूप में प्रयोग किया गया है। उक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय की राय में प्रस्तुत मामले में विवेचना कराये जाने का कोई विधि सम्मत आधार पर्याप्त नहीं है। प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।" जिससे क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

(10)– निगरानीकर्तिनी द्वारा दिनांक 07.08.2013 को 100 गज के प्लाट की रजिस्ट्री के नाम पर धोखाधड़ी कर इकरारनामा/विवाह का अभिलेख बनवाये जाने का कथन किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न इकरारनामा विवाह/नानकफका दिनांकित 07.08.2013 उपनिबन्धक (प्रथम), मुरादाबाद के कार्यालय से रजिस्टर्ड दस्तावेज है। इकरारनामा विवाह/नानकफका दिनांकित 07.08.2013 के पेज–2 में पृष्ठांकन कि उप निबन्धक प्रथम की आख्या अनुसार, निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने निष्पादन स्वीकार किया। इसके अलावा, इकरारनामा विवाह/नानकफका में दोनों फरीकेन की रजामंदी से खूब सोच समझकर बिना किसी दबाव नाजायज किसी के रूबरू गवाहान तहरीर कर दिये जाने का कथन किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि इकरारनामा विवाह/नानकफका दिनांकित 07.08.2013 उपनिबन्धक (प्रथम), मुरादाबाद के कार्यालय से रजिस्टर्ड दस्तावेज है जो कि अखण्डनीय साक्ष्य की श्रेणी में आता है। इसके अलावा, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इकरारनामा विवाह/नानकफका दिनांकित 07.08.2013 का निष्पादन दोनों पक्ष ने सुनने व समझने मजमून, स्वीकार किया। पंजीकृत अभिलेख दिनांकित 07.08.2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त अभिलेख एक पंजीकृत दस्तावेज है। पेज–2 में पृष्ठांकन कि उप निबन्धक प्रथम की आख्या अनुसार निष्पादित लेखपत्र बाद सुनने व समझने मझमून दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित किया गय है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि उक्त अभिलेख किसी भी प्रकार से विक्रय अभिलेख नहीं है और न ही विक्रय अभिलेख के रूप में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांकित 28.09.2022 के गंभीरतापूर्वक अवलोकन से पुनरीक्षण न्यायालय की राय में प्रश्नगत आदेश विधिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 28.09.2022 पुष्ट किया जाकर, प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्तिनी कुमारी नाजरा की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–314/2022, अन्तर्गत धारा–397 सी.आर.पी.सी. निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 28.09.2022 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि, इस आदेश की एक प्रति, अवर न्यायालय में नियमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 25.08.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 25.08.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।